# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या 12(RTI) / 01 / 2025 रजि० नं0 2025 / प्रवेश तिथि 03.09.2025

| अपीलार्थी :– | प्रत्यर्थी :– |
| --- | --- |
| Adv. Prashant chaudhary Flat no 744 3rd floor near amaira sweets mukherjee nagar delhi pin no 110009 | राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) |

**अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

## –: निर्णय :– दिनांक 15.09.2025

1– अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) को प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 12.07.2025 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।

2– अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3– अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) से जरिये नोटिस क्रमाक 1349–50 दिनांक 10.09.2025 से जवाब तलब किया गया, एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर, यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 15.09.2025 को उपस्थित आवें। नियत तिथी को अपीलार्थी उपस्थित नही हुआ।

4–राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) ने जर्ये पत्राक लोक. सूचना अधि. / 2005 / 25 / 183 दिनाक 15.09.2025 के द्वारा जवाब प्रेषित करते हुऐ प्रति संलग्न कर भिजवायी गयी है, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है, कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 12.07.2025 में वर्णित तथ्यो पर बिन्दूवार जवाब अपीलार्थी को नही भिजवाया गया है, अपेक्षित जवाब न्यायालय हाजा में अपील पेश किये जाने के उपरान्त भिजवाया गया है, जो उचित प्रतीत नही होता है, सूचना का अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो का नियत समयावधी / विधिक प्रावधानो के अनुसार निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) के द्वारा नियत समयावधी में निस्तारण नही किया गया है। भविष्य में उक्त क्रंम में नियत समयावधी / विधिक प्रावधानो के अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

5–पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा समुचित जवाब अपीलार्थी को विलम्ब से / अपील पेश किये जाने के पश्चात प्रेषित किया गया है। अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

6–अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रमाणित–प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जायें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।

7–आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

आति0जिला कलक्टर एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राज0)
सत्यमेव जयते